

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक
प्रति,

183

/आउशि/नि.का/2009

भोपाल, दिनांक 26/03/09

1. अतिरिक्त संचालक,
समस्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:-न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करना एवं जवाबदावे की एक प्रति अभिलेख के लिए न्यायालयीन प्रकोष्ठ को भेजना।

-:0:-

अभी हाल में महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त कतिपय पत्रों में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि शासकीय अधिवक्ताओं के द्वारा 03 या 04 पत्र लिखने तक प्रकरण के प्रभारी अधिकारी के द्वारा उनसे संपर्क नहीं किया गया जिसके कारण माननीय न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ एवं शासन के पक्ष समर्थन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी की स्थिति निर्मित हुई।

उन समस्त अधिकारियों को, जिन्हें शासन की ओर से न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, को यह अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे आगामी 10 दिन में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर एवं समय प्राप्त कर शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करें यदि किसी जवाबदावे के लिए अभिलेख की आवश्यकता है तो उसके लिये सीधे न्यायालयीन प्रकोष्ठ के प्रभारी डा0 एस.के.पारे से दूरभाष क्रमांक-9826060825 पर संपर्क कर उक्त अभिलेख प्राप्त कर लिये जाएं। यदि डा0 पारे से संपर्क करने के बाद भी अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं तो 02 दिन की प्रतीक्षा के पश्चात मुझे सीधे नाम से अर्द्धशासकीय पत्र भेजकर प्रकरण की वस्तुस्थिति मेरे ध्यान में लायी जाए।

कृपया इन निर्देशों का गंभीरता से पालन करना सुनिश्चित करें ताकि शासन की ओर से न्यायालय में प्रभावी पक्ष समर्थन किया जा सके एवं समय पर कार्यवाही न करने के कारण किसी भी प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की प्रतिकूल स्थिति निर्मित न हो।

Ashwin

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

184

पू.क्रमांक
प्रतिलिपि-

/आउशि/नि.का/2009

भोपाल, दिनांक

26/03/09

1. निज सहायक, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।

Ashwin
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 183/आउशि/नि.का/2009

भोपाल, दिनांक 26.03.2009

प्रति,

1. अतिरिक्त संचालक,
समस्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:—न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करना एवं जवाबदावे की एक प्रति अभिलेख के लिए न्यायालयीन प्रकोष्ठ को भेजना।

—:0:—

अभी हाल में महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त कतिपय पत्रों में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि शासकीय अधिवक्ताओं के द्वारा 03 या 04 पत्र लिखने तक प्रकरण के प्रभारी अधिकारी के द्वारा उनसे संपर्क नहीं किया गया जिसके कारण माननीय न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ एवं शासन के पक्ष समर्थन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी की स्थिति निर्मित हुई।

उन समस्त अधिकारियों को, जिन्हें शासन की ओर से न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, को यह अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे आगामी 10 दिन में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर एवं समय प्राप्त कर शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करें यदि किसी जवाबदावे के लिए अभिलेख की आवश्यकता है तो उसके लिये सीधे न्यायालयीन प्रकोष्ठ के प्रभारी डा0 एस.के.पारे से दूरभाष क्रमांक-9826060825 पर संपर्क कर उक्त अभिलेख प्राप्त कर लिये जाएं। यदि डा0 पारे से संपर्क करने के बाद भी अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं तो 02 दिन की प्रतीक्षा के पश्चात मुझे सीधे नाम से अर्द्धशासकीय पत्र भेजकर प्रकरण की वस्तुस्थिति मेरे ध्यान में लायी जाए।

कृपया इन निर्देशों का गंभीरता से पालन करना सुनिश्चित करें ताकि शासन की ओर से न्यायालय में प्रभावी पक्ष समर्थन किया जा सके एवं समय पर कार्यवाही न करने के कारण किसी भी प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की प्रतिकूल स्थिति निर्मित न हो।

हस्ताक्षर
(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 184/आउशि/नि.का/2009

भोपाल, दिनांक 26.03.2009

प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश